कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / मा–स / 22418 / 2015–17 / 143 दिनांकः 04/7/2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय

विषय :– विद्यालयों में दिनांक : 05.07.2017 से 15.07.2017 तक 10 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन–जागृति अभियान के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : प. 24 (31) शिक्षा–6 / 2015 पार्ट दिनांक : 12.06.17 एवं प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग के पत्र क्रमांक : प. 10 (698) परि. / स.सु. / 2016 / 38140 दिनांक : 20.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाएं एवं उनसे होने वाली मृत्यु अत्यन्त संवेदनशील विषय है। गत वर्ष 2016 संड़क दुर्घटनाओं में राज्य में 10465 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार ने इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए राज्य सड़क सुरक्षा नीति में सड़क दुर्घटनाओं एवं उससे होने वाली मृत्यु दर में वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत तथा वर्ष 2017 में 10 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में लगभग 1/3 व्यक्ति दुपहिया वाहन चालक होते है, जिनमें से अधिकतर युवा होते है। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यातायात नियमों का पालन न करना, तेज गति से वाहन चलाना व निर्धारित मापदण्ड का हेलमेट नहीं पहनना है।

उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नवीन सत्र के प्रारम्भिक 10 दिवसों में सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु दिनांक : 05.07.2017 से 15.07.2017 तक सड़क सुरक्षा जागृति अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके सम्बन्ध में अधिनस्थ सभी विद्यालयों को निम्न निर्देश प्रदान कर उस पर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें :–

1. प्रत्येक विद्यालय में गठित रोड़ सेफ्टी क्लब को सक्रिय कर उनके माध्यम से विद्यालयो में यातायात नियमों की जानकारी दी जाकर उनकी पालना सुनिश्चित करवाई जावे।
2. विद्यालयों में दुपहिया वाहन लेकर आने वाले छात्र–छात्राओं के क्रम में यह सुनिश्चित किया जावे कि उनके पास वैध ड्राईविंग लाइसेंस है अथवा नहीं तथा उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड (ISI मार्क) का हेलमेट सही ढंग से (स्ट्रीप लगाकर) पहना जा रहा है अथवा नहीं। उल्लेखनीय है कि 16 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मोटर वाहन नहीं चला सकता जब कि 16 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र का व्यक्ति 50 सी. सी. इंजन क्षमता तक बिना गियर वाली मोटरसाईकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है तथा 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र का व्यक्ति गियर वाली मोटर साइकिल एवं उसके मोटरवाहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।
3. विद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त 10 दिवसीय अवधि में स्थानीय स्तर पर परिवहन / पुलिस विभाग से सामन्जस्य स्थापित कर स्कुली छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी देने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन कर यातायात नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जावे।

4. विद्यालय प्रशासन प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब के माध्यम से बाल वाहिनी योजना शख्ती से लागू कराई जावे। संस्थान प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब में एक वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता स्तर का यातायात संयोजक नियुक्त किया जावें जिसके निर्देशन में क्लब द्वारा बाल वाहिनी नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।
5. विद्यालय प्रशासन द्वारा एक विस्तृत ट्रेफिक प्लान तैयार किया जाकर बाल वाहिनी के वाहनों द्वारा छात्र-छात्राओं को संस्थान के परिसर से सुरक्षित चढाने व उतारने का स्थान सुनिश्चित किया जावे तथा उक्त ट्रेफिक प्लान विद्यालय के सुगम्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जावे।
6. विद्यालय द्वारा संस्थान के परिसर में विद्यार्थियों को चढ़ाने उतारने के निर्धारित स्थान पर एवं विद्यालय के बाहर सड़क की ओर देखते हुए सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाये जावे जो कि अभियान पश्चात भी लगे रहे जिसको विद्यालय प्रशासन द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर किया जावे।
7. विद्यालय प्रशासन द्वारा इस अवधि के दौरान स्थानीय स्तर पर रोड़ ऑनिंग एजेन्सी से सामन्जस्य स्थापित कर विद्यालयों के बाहर नियमानुसार रोड़ फर्नीचर एवं साइनेज लगवाये जावे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ) राजस्थान जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
3. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर